राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ०। आरोपी अनुपस्थित।

प्रकरण आरोपी रामकाता बाई की उप0 हेतु नियत है।

आरोपी रामकांता बाई पति समद लोधी उम्र 29 वर्ष निवासी समनापुर थाना ग्रामीण (नवेगांव) जिला बालाघाट को जारी गिरफतारी वारंट के पालन में गिरफतारी वारंट मय फरारी पंचनामा के साथ फरारी साक्ष्य हेतु आरक्षी केन्द्र ग्रामीण नवेगांव जिला बालाघाट से सहा0 उपनिरीक्षक अशोक डहाके उपस्थित।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि प्रकरण दिनांक 14.07.17 को अनुपस्थित था उसकी ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुये इस कारण उसके जमानत मुचलके निरस्त कर उसके विरूद्ध गिरफतारी वारंट जारी किया गया था। आरोपी अनुपस्थित है। आरोपी के विरूद्ध गिरफतारी वारंट जारी किये जाने के बाद भी उसकी उपस्थिति सुनिष्टिचत नहीं हो पा रही है। आरोपी के विरूद्ध जारी गिरफतारी वारंट सहा0 उपनिरीक्षक अशोक डहाके आरोपी के फरार होने के पंचनामा सहित अदम तामील लेकर उपस्थित हुये।

उपस्थित साक्षी सहा0 उपनिरोक्षक अशोक डहाके की फरारी साक्ष्य लेखबद्ध की गई। फरारी पंचनामा को कमशः आर्टिकल —ए अंकित किया गया। साक्षी को साक्ष्य उपरांत उन्मुक्त किया गया। फरारी साक्ष्य एवं गिरफतारी वारंट व फरारी पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी रामकांता बाई दर्शित पते पर निवासरत नहीं है, न ही उसका कोई स्थाई व निश्चित पता अभियोजन को ज्ञात है। अतः आरोपी रामकांता बाई पित समद लोधी उम्र 29 वर्ष निवासी समनापुर थाना ग्रामीण (नवंगांव) जिला बालाधाट को स्थाई रूप से फरार घोषित किया जाता है। आरोपी के विरुद्ध स्थाई गिरफतारी वारंट जारी किया जावे।

प्रकरण में आरोपी फरार है, प्रकरण के टाईटल पेज पर लाल स्याही से मोटे अक्षरो में सुरक्षित रखे जाने की टीप अंकित कर परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।

> सही / – (आसिफ अब्दुल्लाह) न्यायिक मजि० प्रथम श्रेणी बालाघाट